हरियाणा में नए मुख्य सचिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **1989 बैच के IAS अधिकारी** विवेक जोशी को हरियाणा का नया [मुख्य सचिव](https://www.drishtiias.com/hindi) नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य में महत्त्वपूर्ण **प्रशासनिक परिवर्तन** हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- **नियम और ज़िम्मेदारियाँ:**
  - जोशी **सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले और सतर्कता** सहित विभागों की देखरेख करेंगे।
  - वह प्रभारी सचिव के रूप में योजना समन्वय का भी प्रबंधन करेंगे।
- **पृष्ठभूमि:**
  - इस नियुक्ति से पहले, जोशी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनभोगी मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे।
  - **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 अक्तूबर** को राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा कैडर में उनके प्रत्यावर्तन को मंज़ूरी दे दी।
    - जोशी के आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने तक हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी अस्थायी रूप से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

राज्य के मुख्य सचिव

- **नियुक्ति:**
  - मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्यवाही है, इसलिये यह राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है।
- **पद :**
  - मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है।
  - यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर पद है।
  - मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है।
- **कार्यकाल:**
  - मुख्य सचिव के कार्यालय को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-chief-secretary-in-haryana